फर्द अहकाम

श्रवणकुमार बनाम छिगनी देवी

नाम न्यायालय

केस संख्या 33/2017 T.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/2/18	वा. द. उप0/ अप्रार्थी सं.2 की ओर से जवाब पेश हुआ/ नकल दी गई प्रतिवादी सं.1 जवाब हेतु समय चाहते है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/3/18 को पेश हो	
	26/3/18	वकाला द्वारा आज कन्फ्लिक्ट/स्टे स्थगित रखे जाने से पत्रावली यह आदेशानुसार दिनांक 10/5/18 को पेश हो।	
	10/5/18	प्रसाइडिंग आफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12/6/18 को पेश हो	
	12/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वारा ग्राम कोटगाम खिरोद खुर्द मे पेश श्री वकील वादी उप0/ अप्रार्थी सं.1 के अधिवक्ता उप0/ प्रकरण मे सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है प्रकरण मे दिनांक 07/12/17 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07/12/17 को तामील [illegible] किया जाता है [illegible] मुकदमा डिग्री नम्बर से कम [illegible] तथा मूल वाद के साथ रहे। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner